

हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या: पीसीएच-एचए (1) 2/2019- 54001-54015 शिमला-171009

दिनांक 22.8.2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, सिरमौर के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला सिरमौर, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर, के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के संबन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला सिरमौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

| क्रमांक | वर्तमान ग्राम सभा का नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | अपवर्जित ग्रामों के लिए नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम | विवरण |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. विकास खण्ड का नाम:- नाहन | | | | | | |
| 1. कटाह शीतला | | 1. कथला पछावग | कमलाड | 1. कथला पछावग | 1. ढाना | |
| | | 2. डेबरी रताडी | | 2. डेबरी रताडी | 2. कटाह | |
| | | 3. कांगटा फलैग | | 3. कांगटा फलैग | 3. गाँवडा | |
| | | 4. कशेलग माशगा | | 4. कशेलग माशगा | 4. शिरु मईला | |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|--|
| | 5. कमलाड़ | | 5. कमलाड़ | |
| | 6. खैरी चेंगन | | 6. खैरी चेंगन | |
| | 7. ढाना | | | |
| | 8. कटाह | | | |
| | 9. गाँवडा | | | |
| | 10. शिरु मईला | | | |

2. विकास खण्ड का नाम:-पांवटा साहिब

| | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 1. काण्डो कांसर | 1. मैहत | कटवाड़ी भागड़त | 1. मैहत | 1. काण्डो फागड़ |
| | 2. चियामभियाना | | 2. चियामभियाना | 2. कांसर |
| | 3. भाटना क्यालना | | 3. भाटना क्यालना | 3. मधारा |
| | 4. कटवाड़ी भागड़त | | 4. कटवाड़ी भागड़त | 4. सवाड़ा लंडासी |
| | 5. काण्डो फागड़ | | | |
| | 6. कांसर | | | |
| | 7. मधारा | | | |
| | 8. सवाड़ा लंडासी | | | |
| 2. शिवपुर | 1. शिवपुर | भुंगरनी | 1. पट्टी नथा सिंह | 1. शिवपुर |
| | 2. अकालगढ़ | | 2. भुंगरनी | 2. अकालगढ़ |
| | 3. अम्बवाला सिंधपुरा | | 3. हरिपुर टोहना | 3. अम्बवाला सिंधपुरा |
| | 4. बरोटीवाला | | | |
| | 5. पट्टी नथा सिंह | | | |
| | 6. भुंगरनी | | | |
| | 7. हरिपुर टोहना | | | |

3. विकास खण्ड का नाम:-पच्छाद

| | | | | |
|---------|-------------------------|----------|-------------|-------------------------|
| 1. नारग | 1. नारग | दीद घलूत | 1. नौहरा | 1. नारग |
| | 2. मोहर | | 2. भडूत | 2. मोहर |
| | 3. नौहरा | | 3. दीद घलूत | 3. कांवखी खगोग |
| | 4. कांवखी खगोग | | | 4. कोफटू थलेड़ी की बेड़ |
| | 5. कोफटू थलेड़ी की बेड़ | | | 5. अजगा |
| | 6. अजगा | | | |
| | 7. भडूत | | | |
| | 8. दीद घलूत | | | |

4. विकास खण्ड का नाम:-राजगढ

| | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1. शाया सनौरा | 1. खनीवड़ नाल मेला | घनच-मानवा | 1. खनीवड़ नाल मेला | 1. जोल |
| | 2. मानवा | | 2. मानवा | 2. रोहड़ी |
| | 3. कलोहा शकैन | | 3. कलोहा शकैन | 3. शाया |
| | 4. शिमलियां | | 4. शिमलियां | 4. सनोरा |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | 5. धनच चुख्ड़ियां 6. जोल 7. रोहड़ी 8. शाया 9. सनोरा 10. धामला | | 5. धनच चुख्ड़ियां | 5. धामला | |
| 5. विकास खण्ड का नाम:-संगडाह | | | | | | |
| 1. | भराड़ी | 1. भराड़ी 2. भानरा 3. पुन्नरधार | पुन्नरधार | 1. पुन्नरधार | 1. भराड़ी 2. भानरा | |
| 2. | कोटीधिमान | 1. कोटीधिमान 2. छोऊ भोगर 3. कोठिया | छोऊ भोगर | 1. छोऊ भोगर 2. कोठिया | 1. कोटीधिमान | |
| 5. विकास खण्ड का नाम:- शिलाई | | | | | | |
| 3. | जरवा जुनैली | 1. डाहर 2. जरवा जुनैली 3. किणु कुलाह | डाहर | 1. डाहर | 1. जरवा जुनैली 2. किणु कुलाह | |

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या:पीसीएच-एचए (1)2/2019-54001-54015 शिमला-171009 दिनांक 22.8.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- उपायुक्त, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझावों आप्तियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश आप्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
- जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
- समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्राधन/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु तुरन्त उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
- समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर चसपान सुनिश्चित करवाएं तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
शिमला - १